न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभासिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 216 / 2023

अपीलान्ट बनाम **रेस्पोडेन्टस**

अपीलान्ट

1. भगवानसिंह पुत्र अचलसिंह
2. सवाईसिंह पुत्र अचलसिंह
3. अभयसिंह पुत्र मंगलसिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह
5. रसालकंवर पत्नी गंगासिंह
6. रामसिंह पुत्र मंगलसिंह
7. कल्याणसिंह पुत्र मंगलसिंह
8. तगसिंह पुत्र मोतीसिंह
9. विशनसिंह पुत्र मोतीसिंह
10. दलपतसिंह पुत्र फतेसिंह
11. गुमानसिंह पुत्र फतेसिंह
12. हुआकंवर पत्नी फतेसिंह
13. प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह
14. स्वरूपसिंह पुत्र नारायणसिंह
15. नखतकंवर पत्नी नारायणसिंह
    निवासी—कालेवा, तहसील
    पचपदरा, बालोतरा।

रेस्पोडेन्टस

1. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार पचपदरा।
2. छुतराराम पुत्र आदाराम
3. गंगाराम पुत्र आदाराम
4. चेनाराम पुत्र आदाराम
5. भवानीसिंह पुत्र भूरसिंह
6. हीरसिंह पुत्र भूरसिंह
7. पुष्पेन्द्रसिंह पर वेरीसालसिंह
8. सुगनकंवर पत्नी
   वेरीसालसिंह
9. सुमेरसिंह पुत्र नरपतसिह
10. लक्ष्मणसिंह पुत्र नरपतसिंह
11. उत्तमसिंह पुत्र नाथूसिंह
12. सोहनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
13. बलवंतसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
14. गुलाबसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
15. गोपालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
16. दरियावकंवर पत्नी
    अर्जुनसिंह
17. जसवंतसिंह पुत्र नवलसिंह
18. नख्तसिंह पुत्र नवलसिंह
19. जालमसिंह पुत्र भीमसिंह
20. हरिसिंह पुत्र भीमसिंह
21. खुमानसिंह पुत्र भीमसिंह
22. तेजसिंह पुत्र चन्दनसिंह
23. दीपसिंह पुत्र चन्दनसिंह
24. जतनकंवर पत्नी चन्दनसिंह
25. लालसिंह पुत्र मूलसिंह
26. सांगसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
27. पदमसिंह पुत्र इन्द्रसिंह
28. कानसिंह पुत्र कूंपसिंह
29. छगनकंवर पत्नी इन्द्रसिंह
30. शैतानसिंह पुत्र बुधसिंह
31. रतनसिंह पुत्र कूंपसिंह
32. चन्दनसिंह पुत्र कूंपसिंह
33. जालमसिंह पुत्र कूंपसिंह
34. राणसिंह पुत्र रेवतसिंह
35. मनोहरसिंह पुत्र रेवतसिंह

सम्भागीय आयुक्त

36. छतरसिंह पुत्र रेवतसिंह
37. रघुवीरसिंह पुत्र रेवतसिंह
38. अमरसिंह पुत्र रेवतसिंह
39. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कालेवा, पंचायत समिति पाटोदी, बालोतरा।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश जो उपखंड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 110/2022 अनवान राज0 सरकार बनाम छुतराराम वगैराह में दिनांक 06.09.2022 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री रमेश कुमार सागर, अधिवक्ता अपीलान्टगण की ओर से।
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद नोटिस तामीली के अनुपरिस्थित है।

निर्णय

दिनांक 22 अप्रेल, 2025

अपीलान्ट्स की ओर से प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तहसीलदार पचपदरा के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि ग्राम कालेवा पटवार मण्डल कालेवा तहसील पचपदरा के ख0सं0 916/659 एवं 919/701 की भूमि में से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त भूमि के खातेदारों को सुनवाई के नोटिस जारी करने के उपरान्त सुनवाई की जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 06.09.2022 को स्वीकार करते हुए रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट्स ने यह अपील दिनांक 21.09.2022 को पेश की है।

पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागतण उपस्थित है। दौराने सुनवाई अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने उनकी ओर से पेश अपील एवं लिखित बहस को अन्तिम बहस माने जाने का कथन किया। अपीलान्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपील एवं लिखित बहस में यह उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार, पंचपदरा के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किये गये आवेदन में ग्राम क्यार चारणान कटाण मार्ग से कालेवा ग्राम तक चल रही बारहमासी रास्ता व ग्रेवल सडक की भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया है। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में अपीलान्ट्स की ओर से अपना जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसमें बताया गया कि ख0सं0 701

सम्भागीय आयुक्त

में कभी भी कोई कदीमी रास्ता बारहमासी रास्ता संचालित नहीं हो रहा था। उक्त भूमि से जुडता गैर मुमकिन सरकारी कटाणी रास्ता ख0सं0 793 में वक्त सेटलमेन्ट से चला आ रहा है, जो मौके परं मुढिया सड़क के रूप में मौजूद है तथा ग्रामीणजन उक्त रास्ते का उपयोग करते आ रहे है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र उक्त अधिनियम के तहत मैनेटेनेबल नहीं है। साथ ही यह भी निवेदन किया गया था कि ना0 तहसीलदार, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का के द्वारा पक्षकारान को सुने बिना जॉच रिपोर्ट दिनांक 20.5.2022 को तहसीलदार, पचपदरा को पेश कर दी गई थी, जो कि पूर्णतया बनावटी व झूठे तथ्यों के आधार पर तैयार की गई थीं। ख0सं0 778, 701 व 793 गैर मुमकिन रास्ता क्यार से कालेवा तक लेवल सड़क बनी हुई है। केवल मात्र 150–200 मीटर का कार्य शेष है जिस हेतु राज्य सरकार से मनरेगा के तहत धनराशि स्वीकृत हो चुकी है, जो कि कदीमी से ग्रेवल सडक चली आ रही है।

अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में भी एक प्रार्थनापत्र संख्या 315/2016 अनवान चुतराराम वगैराह बनाम आईदानराम वगैराह अन्तर्गत धारा 251 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जो कि वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी, जिसमें ख0सं0 701 पर कहीं पर भी कदीमी रास्ते का उल्लेख नहीं है। ख0सं0 701 में हम कुल 49 खातेदार है, उक्त गलत रिपोर्ट बनाकर ख0सं0 701 में रास्ते का अंकन करते हुए रिपोर्ट पेश की गई है। धारा 131 सपठित धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत कोई भी आदेश सम्बन्धित खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित नहीं किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण मौजूदा अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति मय दस्तावेजों को सुने बगैर तथा आदेश में कन्सीडर किये गये बगैर मनमाफिक रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित आदेश पारित करने में कानूनी व वाक्याती भूल कारित की है।

अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी ख0सं0 701 से सम्बन्धित कदीमी रास्ते बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से कदीमी रास्ता होने का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है और न ही नजरी नक्शें में मौके पर दिखाया गया है, ऐसे कथन एवं प्रकरण का हवाला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये थे, जिनकों दरकिनार कर दिया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार की खातेदारी भूमि को अवाप्त किये बगैर उसमें रास्ता दर्ज करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। राजस्व अधिकारी के द्वारा तैयार की गई उक्त मौका रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण को सुना भी नहीं गया, न कोई सूचना दी गई, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलार्थीगण के अधिकारों के विपरित, बेअसर व शून्य है। अपीलार्थीगण की भूमि पर आज भी बरसाती फसल की बुआई कर रखी है तथा कही भी चलायमान रास्ते के अलामात नहीं है, इन सब के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ो रास्ता दर्ज करवाने का उल्लेख किया गया है, वह गलत उल्लेखित किया है जो कि निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 6.9.2022 को अपास्त किया जावे।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 01 की ओर से दौराने सुनवाई विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 130, 131, 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत एक आवेदन पेश करते हुए ग्राम क्यार चारणान कटाण मार्ग से कालेवा ग्राम तक चल रही बारहमासी रास्ता व ग्रेवल सडक की भूमि सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए रास्ता दर्ज करवाने का निवेदन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त आवेदन के सम्बन्ध में प्रभावित खातेदारान को विधिवत नोटिस जारी किये गये जिस पर अपीलान्ट्स की ओर से अपना जवाब व प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी तथा उन्हें अपना पक्ष रखे जाने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। तत्पश्चात उल्लेखित भूमि में चलायमान रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो यथावत रखे जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश ग्राम कालेवा के समस्त ग्रामीणों के आवागमन की सुलभ सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनहित में पारित किया गया है, जो यथावत रखते हुए अपीलान्ट्स की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन एवं चिन्तन किया गया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड इत्यादि का अध्ययन व अवलोकन किया गया। अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2022 के विरूद्ध पेश की गई अपनी इस अपील में मुख्य रूप से यह आपत्ति की है कि उनके खातेदारी खेत ख0सं0 701 में कोई कदीमी रास्ता व बारहमासी रास्ता संचालित नहीं हो रहा है तथा राजस्व कार्मिको द्वारा गलत मौका रिपोर्ट बनाकर उसमें ख0सं0 701 में रास्ते का अंकन कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई मौका दिये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो कि निरस्त किया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय की ओर से पूर्व में मंगवाई मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति दी गई थी तथा अपनी ओर से जवाब मय दस्तावेज पेश किये गये है, ऐसे में यह कहा जाना कि उनको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, मानने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त तलब की गई मौका रिपोर्ट में भी उप तहसीलदार, पाटोदी के द्वारा ख0सं0 701 व 659 में चले रहे रास्ते बाबत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को पूर्णतया जनहित में एवं मौका स्थिति के अनुसार उचित तथा ग्राम कालेवा व अन्य राहगीरों को राहत प्राप्त होना बताया है। उक्त रास्ता लगभग 50 वर्षो से चलना भी बताया है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के सहखातेदारान/वर्तमान अपीलार्थीगण में से केवल एक मात्र अपीलार्थी संख्या 13 प्रतापसिंह पुत्र नारायणसिंह के द्वारा यह अपील उनके हस्ताक्षर किये जाकर प्रस्तुत की गई है, अन्य किसी अपीलार्थीगण की उक्त अपील पर सहमति हो अथवा लिखित में अपील करने के कोई निर्देश हो,ऐसा कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थीगण के मात्र वकालतनामा पर हस्ताक्षर किये हुए है। ऐसें में हमारे विनम्र मत में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें

सम्भागीय आयुक्त

हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है एवं अपीलान्ट्स की अपील खारिज किये जाने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2022 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 22 अप्रेल, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर